(17)

अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–113/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
25/11/20	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातार्न्तगत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा देवीनगर थाना संख्या–118 अनाबादी खाता संख्या–81 दाग संख्या–145 रकबा–02 बीधा 18 कट्ठा 14 धूर किस्म–पोखर हस्तचालित राजस्व पंजी–।। के पृष्ठ संख्या–220 में मनोरमा देवी ग्राम–देवीनगर के नाम से बिना आधार प्रविष्टि के कायम है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा संयुक्त जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि राजस्व पंजी–।। में प्रविष्टि की कोई विवरणी अथवा आधार साक्ष्य अंकित नहीं है। स्पष्टतः ऐसवा प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि पर गलत/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में रैयती दावा करने का यह कुप्रयास है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 523/रा0 दिनांक 18.07.2016 से निर्गत प्रथम नोटिश तदुपरान्त विपक्षी को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए द्वितीय नोटिश निर्गत किया गया है जो अभिलेखबद्ध है। निर्गत नोटिश के प्रत्युत्तर में विपक्षी मनोरमा देवी के पुत्र अनुप कुमार तिवारी ग्राम–देवीनगर के द्वारा लिखित अभिकथन के साथ प्रश्नगत दाग की भूमि पर अपने दावे के समर्थन में तत्कालीन भूतपूर्व मध्यवत्ती (जमींदार) द्वारा प्रदत्त अनिबंधित हुक्मनामा/पट्टा दो प्रति में समर्पित किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित संयुक्त जॉच प्रतिवेदन, विपक्षी के उत्तराधिकारी के द्वारा सर्मपित दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन एंव अनुश्रवण किया। सभी तथ्यों एंव दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा तत्कालीन जमींदार से अनिबंधित हुक्मनामा/पट्टा के आधार पर ही प्रश्नगत दाग की भूमि पर अपनी दावेदारी की जा रही है जबकि यह विधिमान्य रूप से स्वीकार्य है कि तत्कालीन जमींदार को गैर मजरूआ आम भूमि जो आमजनों के उपयोग की होती है, की बन्दोबस्ती का अधिकार ही नहीं था एंव जमींदार द्वारा प्रदत्त कथित बंदोबस्ती के काफी वर्षो के बाद सरकारी राजस्व पंजी–।। में बिना ठोस आधार दस्तावेज के विपक्षी के नाम की प्रविष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि विषयगत जमाबंदी बिना आधार दस्तावेज के सरकारी भूमि को हड़पने की नीयत से कायम की गई है। चूंकि यह विधिमान्य है कि लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते है एंव मात्र सरकारी लगान रसीद के आधार पर भी किसी के स्वत्वाधिकार को बिना ठोस आधार साक्ष्य दस्तावेज के नहीं माना जा सकता है। सरकारी निदेशानुसार भुतपूर्व जमींदार द्वारा की गई बंदोबस्ती की समीक्षा जमीन्दारी विवरणी (रिर्टन) से की जानी है साथ ही यह भी निदेश है कि यदि सरकारी लगान रसीद वर्ष 1961–62 के बाद से कटना शुरू हुई है तो यह एक संदेहात्मक मामला होगा। पंजी–।। रैयत के उत्तराधिकारी द्वारा कोई सरकारी लगान रसीद की प्रति न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है, जो संदेहास्पद है। उक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि बिना आधार एंव स्वत्व दस्तावेज के सरकारी भूमि को हड़पने की नीयत एंव बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों	

Scanned with CamScanner

को विफल करने के उद्देश्य से मौजा देवीनगर थाना संख्या–118 अनाबादी खाता संख्या–81 दाग संख्या–145 रकबा–02 बीघा 18 कट्ठा 14 धूर किस्म–पोखर की राजस्व पंजी–।। में बिना आधार प्रविष्टि के संदेहास्पद दस्तावेज के आधार पर विपक्षी के नाम जमाबंदी कायम की गई है, जिसका सरकार के हित में विलोपन अत्यावश्यक है। अतः मौजा देवीनगर थाना संख्या–118 अनाबादी खाता संख्या–81 दाग संख्या–145 रकबा–02 बीघा 18 कट्ठा 14 धूर किस्म–पोखर की राजस्व पंजी–।। में मनोरमा देवी ग्राम–देवीनगर के नाम कायम जमाबंदी विलोपन स्वीकृत्यादेश हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें।

लेखापित एंव संशोधित

अंचल अधिकारी
महेशपुर

अंचल अधिकारी
महेशपुर

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.10 13:29:30 +05:30
Location: 192.168.0.109

Scanned with CamScanner